



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53530

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 10411 वर्ष 2026

आकाश तेजस्वी एवं अन्य

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: विनय शर्मा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति अनीश सक्सेना

1. अभियुक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय शर्मा उपस्थित हुए और तर्क दिया कि बलात्कार की प्राथमिकी विपक्षी संख्या 3-पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई है। उन्होंने तर्क दिया कि दोनों के बीच लिव-इन संबंध था। दोनों एक ही विश्वविद्यालय से बीबीए का कोर्स कर रहे थे। विवाह के झूठे वादे पर बार-बार बलात्कार का आरोप था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्तमान में अभियुक्त आवेदक और पीड़िता ने अपने मतभेद खत्म कर लिए हैं और वे मामले को जारी नहीं रखना चाहते हैं। अतः, समझौते के आधार पर थाना-नॉलेज पार्क, जिला-गौतम बुद्ध नगर के मुकदमा अपराध संख्या 304 वर्ष 2022 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 498 वर्ष 2024 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम आकाश एवं अन्य), धारा 376 (2)(एन), 323, 506, 406, 342 और 120-ख भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र, समन आदेश और कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई है।

2. राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि यदि पक्षकार दी गई परिस्थितियों में समझौता दाखिल करने के लिए विचारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

3. विपक्षी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्र बीर सिंह उपस्थित हुए और उन्होंने वकालतनामा तथा अल्प जवाबी हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें यह खुलासा किया गया है कि पक्षों के बीच समझौता हो गया है क्योंकि उनके बीच लिव-इन संबंध था और वर्तमान में वे मामले को जारी नहीं रखना चाहते हैं।

4. विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार के बिंदु पर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने शंभू खरवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1032) के मामले में यह माना है कि विचार किया जाने वाला महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या आरोप यह संकेत देते हैं कि अभियुक्त ने पीड़िता को शादी का जो वादा किया था वह शुरुआत में ही झूठा था, जिसके आधार पर पीड़िता को शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। इस मामले में यह पाया गया कि पीड़िता और अभियुक्त के बीच संबंध उसकी शादी से पहले, शादी के दौरान और उसके तलाक के बाद भी जारी रहे, और इसलिए यह माना गया कि संबंध आपसी सहमति से थे और अपराध नहीं थे। बाद में, प्रशांत बनाम एनसीटी दिल्ली

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

राज्य (2025) 5 एससीसी 764 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि एक सहमति वाले जोड़े के बीच केवल रिश्ते का टूटना आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का परिणाम नहीं हो सकता। जो शुरूआती चरणों में पक्षों के बीच एक सहमति वाला रिश्ता था, उसे आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता जब उक्त रिश्ता वैवाहिक रिश्ते में परिणत नहीं होता है। जबकि, रजनीश सिंह @ सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2025) 4 एससीसी 197 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सोलह वर्षों के लंबे यौन संबंधों पर विचार किया, जिस दौरान वे पति-पत्नी के रूप में रहे थे, और इसे प्रेम प्रसंग तथा लिव-इन रिलेशनशिप के बिगड़ने का स्पष्ट मामला माना। एक अन्य मामले, कुणाल चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य (एसएलपी (आपराधिक) संख्या 7004 of 2025) जिसे 29.07.2025 को निर्णीत किया गया, में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि जब पीड़िता नाबालिग थी तब अभियुक्त द्वारा बलात्कार किए जाने और वर्षों तक जारी रहने का आरोप, प्राथमिकी में लगाए गए आरोप के अलावा बिल्कुल भी साक्ष्य न होने का मामला है।

5. मधुकर एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1415 (प्रासंगिक पैराग्राफ 5, 6 और 7) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी (धारा 528 बीएनएसएस के तहत) के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति पर विचार किया है। यह माना गया है कि अतर्निहित शक्ति का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यह आगे देखा गया है कि धारा 376 आईपीसी के तहत अपराध निस्संदेह गंभीर और जघन्य प्रकृति का है और सामान्यतः पक्षों के बीच समझौते के आधार पर ऐसे अपराधों से जुड़ी कार्यवाहियों को रद्द करने का हतोत्साहित किया जाता है और इसे हल्के में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी दृढ़ विश्वास के साथ, दूसरी ओर यह माना गया कि न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत न्यायालय की शक्ति सीमित नहीं है और इसका प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यह टिप्पणी तब की गई है जब पक्षों ने अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और अपने जीवन में आगे बढ़ने के इच्छुक हैं तथा प्राथमिकी उसी के कुछ प्रतिक्रियावादी प्रभाव का परिणाम है। ऐसी परिस्थितियों में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि विचारण जारी रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसके विपरीत, यह केवल संबंधित सभी लोगों, विशेष रूप से परिवादी के लिए संकट को बढ़ाएगा और परिणाम की संभावना के बिना न्यायालय पर बोझ डालेगा।

6. क्या पक्षकारों (सूचनादाता/पीड़िता और अभियुक्त) ने समझौता कर लिया है, इसका निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा सबसे अच्छी तरह से किया जा सकता है। इस प्रकार, पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और 30 दिनों के भीतर पक्षों के बीच हुआ समझौता दाखिल कर सकते हैं, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा। विचारण न्यायालय मूल प्रति को अपने अभिलेख पर रखेगा।

7. विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी समझौते पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि सूचनादाता, पीड़िता और अभियुक्त हस्ताक्षरकर्ता न हों और उसके सत्यापन के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हों। किसी आपात स्थिति में, विचारण न्यायालय अपना विवेक प्रयोग करेगा और उचित आदेश पारित करेगा।

8. दो महीने की अवधि के लिए, विचारण न्यायालय की कार्यवाही स्थगित रखी जाएगी, यदि निर्धारित अवधि के भीतर समझौता दाखिल और सत्यापित किया जाता है, अन्यथा, विचारण न्यायालय विचारण जारी रखेगा।



9. सभी पक्षकार, जो समझौता दाखिल करते हैं और उसे सत्यापित करवाते हैं, फिर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का आह्वान करते हुए एक संयुक्त आवेदन दाखिल करेंगे।

10. उपरोक्त के आलोक में, धारा 528 बीएनएसएस/482 सीआरपीसी के तहत आवेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

17 मार्च, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"